

आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय

ज्ञान परिसर, मीठापुर, पटना-800 001

दूरभाष:-0612-2351919, ई-मेल:-akuniv10@gmail.com

Ref. No. 006/Affili/182/AKU/2018 - 4463

Date 21/11/2019

From,

The Registrar, Aryabhatta Knowledge University,, Patna-800 001.

10.

The Chairman/Secretary/ Director, Shri Ram Institute of Medical Sciences, Fatehpur Bypass Road, Siwan – 841226 (Bihar)

Subject:- Provisional affiliation for the academic session 2019-20 for Paramedical Courses.

Sir.

It has reference to your proposal regarding granting provisional affiliation for the session 2019-20 your institute for paramedical courses. On the basis of the report of the Inspection team (which visited your institute on 23-09-2019) and as per the recommendations of Statutory Bodies of the University. You institute is granted the provisional affiliation (for One year) for the academic session 2019-20 for following Paramedical courses with intake as mentioned:-

Sl.No.	Name of Branch	Intake	
٦.	Bachelor in Medical Laboratory Technology	40 Seats	
2.	Bachelor in Radio Imaging Technology	40 Seats	
3.	Bachelor in Operation Theatre Technology	40 Seats	
4.	Bachelor in Physiotherapy	40 Seats	

Your institute is granted provisional affiliation to Aryabhatta Knowledge University, Patna on t following terms & conditions:-

- 1. Provisional affiliation is presently for one year only for the academic session 2019-20.
- 2. The Provisional affiliation is based upon the No Objection Certificate accorded to you institute by Department of Health, Govt. of Bihar vi la@la@&1@ik@es@&01@2014&934\/41\/2@Lok@] iVuk, dated 23-08-2018.
- 3. This provisional affiliation is subject to the condition of deposit of Endowment F 10,00,000/- (Ten Lakh only) in any Nationalized/scheduled bank branch as Fix Deposit in the name of College and the said FD will be pledged in favour of t Registrar, Aryabhatta Knowledge University, Patna. A Xerox copy of the FD du attested by the Principal of the college will be send to the University by means of t letter within a week from the date of receipt of this letter, failing which this letter will automatically treated as withdrawn.
- 4. This provisional affiliation is subject to attending all the deficiencies/ Shortcomir advices/ suggestions/ remarks pointed out by the Inspection team in its report dated 2 09-2019 (copy attached) and to inform the university through affidavit about the remove of all the deficiencies and fulfilment of other conditions as pointed out in the inspective report under reference within a period of 60 (Sixty) days.
- 5. The University may inspect your college at any working day without information.
- All minutes of Governing Body should be submitted to office of Aryabhatta Knowled University, Patna at the earliest.
- When any vacant post will be filled by the college/institute, University representi should be invited. Any appointments must be done in presence of Universi representative.

planet

Opean contd....



आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय

ARYABHATTA KNOWLEDGE UNIVERSITY, PATNA

Chanakya National Law University Campus, Patna-800001 E-mail: akuniv10@gmail.com

Notification

I have been directed to notify that Private Colleges Affiliated with Aryabhtta Knowledge University will, from now onward, not remit the amount of Endowment Fund as prescribed, to the University. They will instead deposit the amount of Endowment Fund in any nationalised/scheduled bank branch as Fixed Deposit in the Name of College and thereafter the said FD will be pledged infavour of the Registrar, Aryabhatta Knowledge University.

A Xerox copy of the FD duly attested by the Principal of the College will be sent to the University by means of a letter.

By order of Vice-Chancellor
Sd/
(Er. Rajeev Ranjan)
Registrar (I/c)
Aryabhatta Knowledge University, Patna

No. 004/FIN/005/AKU/2013 (Vol IV) - 3374

Dated - 03-08-2018

Copy to:- PA to VC/ Pro. VC Office / Registrar Office/Controller of Examination/ Finance Officer/
Budget and Account Officer and SO(G) Affiliation Section for information and sending
communication to all the affiliated Colleges/Institutes for their information and
necessary action.

Sri Vishal Ratan Kumar will upload the Notification in the University Website.

Registrar (Nc)

Aryabhatta Knowledge University, Patna

sand

AISHE Rague



आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय

ज्ञान परिसर, मीठापुर, पटना—800 001 दूरभाषः—0612-2351919, ई—मेल:—akuniv10@gmail.com

- 8. College is requested to submit the residential address proof, Adhar card along with mobile number of all teaching & non teaching employee.
- Provisional affiliation has been granted in anticipation of approval of the Court, Aryabhatta Knowledge University, Patna.
- 10. Provisional affiliation shall not take effect unless it is approved by the State Government.
- 11. Rules/regulations etc. regarding syllabus and conduct of examinations shall be communicated after all the conditions for provisional affiliation is met with by your institute to the full satisfaction of the University.
- 12. Failing the above terms & conditions, this letter will be automatically treated as withdrawn. In such case no further correspondence shall be entertained.

Encl.: As above.

By order of the Vice-Chancellor Yours faithfully,

Registrar(I/C)

Aryabhatta Knowledge University

Navnet

बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग

शुद्धि-पत्र

स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना संख्या—934(1) दिनांक—23.08.2018 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा श्री राम रूरल वेलफेयर एजुकेशनल सोसाइटी द्वारा संयालित श्री राम इन्स्टीच्यूट ऑक मेंडिकल साईसेज, फतेहपुर बाई पास रोड, फतेहपुर, जिला—सिवान को कतिपय पाठ्यक्रमों में मान्यता प्रदान करते हुए वर्ष—2021 तक कोर्स संवालन की अनुमति प्रदान की गई है।

2— विभागीय अधिसूचना संख्या—934(1) दिनांक—23.08.2018 में अंकित कंडिका—2(क)—6 को संशोधित रूप से निम्नरुपेण पड़ा जाय—

क्र0सं0	पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट	
6	डिप्लोमा इन मेडिकल रेडियोग्राफी (DMR)	३० (तीस)	

3— स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना संख्या—934(1) दिनांक—23.08.2018 को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

4— स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना संख्या-934(1) दिनांक-23.08.2018 की शेष शतेँ पूर्ववत् रहेंगी।

क्षिशल किशोर) सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:-1/पा0मे0--01/2014-1332(U) /स्वा६, पटना, दिनांक--26/ D /2018 प्रतिलिपि:- अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना--7 को सी०डी० कॉपी के साथ सूचनार्थ एवं बिहार राजपत्र के आगानी असाधारण अंक के प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:— कुल सचिव, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, चाणक्या राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय कैम्पस, मीठापुर बस स्टैण्ड के नजदीक, मीठापुर, पटना-800001 को सूचनार्थ, एवं आवश्यक कार्रवाई हेत् प्रेषित।

√प्रतिलिपि:— डा० नवल किशोर पाण्डेय, सचिव, श्री राम रूरल वेलफेयर एजुकेशनल सोसाईटी द्वारा संवालित श्री राम इन्स्टीच्यूट ऑफ मेडिकल साईसेज, श्री राम एम०आर०आई० स्कॅन सेन्टर, फतेहपुर बाईपास रोड, पो०—फतेहपुर, जिला— सिवान—841228 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:— मांव मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/संयुक्त सचिव (प्रभारी प्रशाखा—1), स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/परीक्षा नियंत्रक, बिहार पारा मेडिकल/पारा छेन्टल एक्जामिनेशन कमिटी, नालन्दा मेडिकल कॉलेज कॅम्पस, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:— प्रशाखा पदाधिकारी—1 एवं संबंधित सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

(500)

बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

संवसंव 1/पावमंव 01/2014 93प(६) / स्वाव, पटना, दिनांक 23/8 /2018 स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना संख्या 1028(1) दिनांक 31.12.05 द्वारा आख्यापित बिहार पारा मेडिकल / पारा डेन्टल शिक्षण (संख्यानों की स्थापना हेतु अनुमति) नियमावली, 2005 में निहित प्रावधान के आलोक में विभागीय अधिसूचना संव 01.01.2016 द्वारा श्री राम रूरल वेलफेयर एजुकेशनल सोसाइटी द्वारा संचालित श्री राम इन्स्टीच्यूट ऑफ मेडिकल साईरोज, फतेहपुर बाई पास रोड, फतेहपुर, जिला-सिवान को विभिन्न 7 (सात) विषयों में पूर्णतः अस्थायी तीर पर वर्ष 2017 तक के लिए पारा मेडिकल पाड्यकम संचालित करने की मान्यता अबधि विस्तार प्रदान किया गया था।

(2) उक्त क्रम में विभागीय आदेश रांख्या—585(1) दिनांक—26.05.2018 द्वारा गठित जाँच समिति से प्राप्त प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आलोक में श्री राम रूरल वेलफेयर एजुकेशनल सोसाइटी द्वारा संचालित श्री राम इन्स्टीच्यूट ऑफ मेडिकल साईसेज, फतेडपुर बाई पास रोड, फतेडपुर, जिला—सिवान को —

(क) निम्न पारा मेंखिकल डिप्लोमा / सर्टिफिकेट पाव्यक्रमों में मान्यता प्राप्त सीटों के लिए वर्ष-2021 तक अवधि विस्तार की अनुमति, अंकित शत्तों के अधीन, प्रदान की जाती है-

क्रवसंव	पाठ्यक्रम	रवीकृत सीट
1	डिप्लोगा इन फिजियोधेरापी-(DPT)	30 (तीस)
2	डिप्लोगा इन ऑपरेशन थियेटर असिस्टेट (DOTA)	50 (पचास)
3	डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेट्री टेक्नीशियन (DMLT)	50 (पचास)
4	डिप्लोमा इन सेनिटरी इन्त्येक्टर (DSI)	30 (तीस)
5	खिप्लोमा इन ई०सी०जीव टेक्नीशियन (DECG)	30 (तीस)
6	डिप्लोगा इन मेडिकल रेडियोग्राफी (DMR)	20 (बीस)
7	सर्टिफिकेट इन गेडिकल द्वेसर (CMD)	40 (चालीस)

(ख) निग्न ब्रीज कोर्स / डिग्री पाठ्यक्रम संचालन हेतु अनापति प्रमाण पत्र, अंकित शर्तों के अधीन, प्रदान किया जाता है-

(1) बैंचलर इन फिजियोथेरापी (बीठपीठटी) — 40 (चालीस) सीट

(2) वैचलर इन मेडिकल लेबोरेट्री टेक्नोलॉजी (बीठएमbएलoटीo)-40 (चालीस) सीट

(3) बैचलर इन ऑपरेशन थियेटर टेक्नोलॉजी (बीठओठटीठटीठ)- 40 (चालीस) सीट

(4) बैचलर इन रेडियो इमेजिंग टेब्नोलॉजी (बीठआर०आई०टी०)-40 (चालीस) सीट

(3) स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना संख्या—1028(1), दिनांक—31.12.05 द्वारा आख्यापित बिहार पारा मेंब्रिकल / पारा डेन्टल शिक्षण (संस्थानों की स्थापना हेतु अनुमति) नियमावली, 2005 में निर्धारित शत्तों का अनुपालन श्री राम रूरल वेलफेयर एजुकेशनल सोसाइटी द्वारा संचालित श्री राम इन्स्टीच्यूट ऑफ मेंब्रिकल साईसेज, फतेहपुर बाई पास रोड, फतेहपुर, जिला—सिवान के द्वारा किया जायेगा।



- (4) संस्थान संबंधित विश्वविद्यालय से affiliation प्राप्त करने के उपरान्त ही डिग्री पाठयक्रमों में नामांकन लेगी।
- (5) संस्थान अपने कार्यरत सभी फैकल्टी / कर्मियों के वैतन का भुगतान आधार सीडेड बैंक एकाउण्ट के माध्यम से किया जाना सुनिश्चित करेगी।
- (6) सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत नियम / परिनियम का पालन, संस्थान द्वारा अनिवार्य रूप से किया जायेगा।
- (7) भविष्य में संस्थान के विरुद्ध कोई आपत्तिजनक बात जींबीपरान्त पाई जायेगी तो वैत्ती स्थिति में सरकार संस्थान की मान्यता वापस ले लेगी।
- (8) सरकार द्वारा पारा मेडिकल विषयों में निर्गत किये जाने वाले प्रमाण-पत्र पर सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य का हस्ताक्षर प्राप्त करना होगा।

विहार राज्यपाल के आदेश से

(विवेकानन्द ठाकुर) सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक:-1/पा0मे0-01/2014-93400 /स्व10, पटना, दिनांक-23/ 9 /2018 प्रतिलिपि अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारवाग, पटना-7 को सीठडीठ कॉपी के साथ सूचनार्थ एवं बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक के प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:— कुल सचिव, आर्यभट्ठ झान विस्वविद्यालय, चाणवया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय कैम्पस, मीठापुर बस स्टैण्ड के नजदीक, मीठापुर पटना—800001 को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेत् प्रेषित।

प्रतिलिपि:— डा० नवल किशोर पाण्डेय, सचिव, श्री राम रूरल वेलफेयर एजुकेशनल सोसाईटी द्वारा संचालित श्री राम इन्स्टीच्यूट ऑफ मेडिकल साईसेज, श्री राम एम०आर०आई० रजैन रोन्टर, फतेडपुर बाईपास रोड, पो०—फतेडपुर, जिला— सिवान—841226 को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:— मा० मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव / प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव / संयुक्त सचिव (प्रभारी प्रशाखा—1), स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव / परीक्षा नियंत्रक, बिहार पारा मेडिकल / पारा डेन्टल एकजामिनेशन कमिटी, नालन्दा मेडिकल कॉलेज कैम्पस, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- प्रशाखा पदाधिकारी--1 एवं संबंधित सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेत् प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव